



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार बस्ती में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राम चन्दर मौर्य पुत्र स्व0 हब्बू मौर्य, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार बस्ती में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राम चन्दर मौर्य पुत्र स्व0 हब्बू मौर्य, रूपगढ, थाना-छावनी, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी बटवारे को लेकर दिनांक 22.04.2011 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-202/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323, 325, 504 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति न्यायालय-प्रथम, बस्ती के दण्डादेश दिनांक 04.11.2024 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष 03 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 05 माह 08 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 05.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 03 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 05 माह, 08 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार बस्ती में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राम चन्दर मौर्य (बन्दी संख्या-768/2024) पुत्र स्व0 हब्बू मौर्य, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-1187/2026/672(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
- 2- अधीक्षक, जिला कारागार बस्ती।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव